2017 का विधेयक संख्यांक 13

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2017

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2017

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 2 का प्रतिस्थापन।
3. धारा 3 का प्रतिस्थापन।
4. धारा 4 का प्रतिस्थापन।
5. कतिपय शब्दों का प्रतिस्थापन।
6. धारा 12–क का प्रतिस्थापन।
7. धारा 15 का संशोधन।
8. धारा 18 का संशोधन।
9. धारा 23 का संशोधन।
10. धारा 29 का संशोधन ।

2017 का विधेयक संख्यांक 13

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2017

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्यांक 18) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

धारा 2 का प्रतिस्थापन।

2. हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"2. परिभाषाएं.–इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "अतिरिक्त मुख्य आयुक्त (मन्दिर)" से, धारा 3 के अधीन नियुक्त अतिरिक्त मुख्य आयुक्त (मन्दिर) अभिप्रेत है;

(ख) "सहायक आयुक्त (मन्दिर)" से, धारा 3 के अधीन नियुक्त सहायक आयुक्त (मन्दिर) अभिप्रेत है;

(ग) "पूर्त विन्यास" से, किसी समुदाय या उसके किसी वर्ग के उपयोग के उद्देश्यों के समर्थन या अनुरक्षण के लिए उनके फायदों के लिए दी गई या विन्यस्त या किसी समुदाय या उसके किसी वर्ग द्वारा अधिकार के रूप में प्रयुक्त समस्त

सम्पत्ति जैसे सराय, विश्राम गृह, पाठशालाएं, विद्यालय और महाविद्यालय, गरीबों को भोजन खिलाने के आवास तथा शिक्षा के अभिवर्धन के लिए संस्थाएं, चिकित्सा राहत निधि और लोक स्वास्थ्य या इसी प्रकार के अन्य उद्देश्य अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत सम्बद्ध संस्थाएं भी हैं ;

(घ) "मुख्य आयुक्त (मन्दिर)" से, धारा 3 के अधीन नियुक्त मुख्य आयुक्त (मन्दिर) अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत प्रत्येक ऐसा अधिकारी भी है जो इस अधिनियम के अधीन तत्समय, मुख्य आयुक्त (मन्दिर) की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करता है;

(ङ) "आयुक्त (मन्दिर)" से, धारा 3 के अधीन नियुक्त आयुक्त (मन्दिर) अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत प्रत्येक ऐसा अधिकारी भी है, जो इस अधिनियम के अधीन तत्समय, आयुक्त (मन्दिर) की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करता है;

(च) "सरकार" या "राज्य सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "आनुवंशिक न्यासी" से, किसी धार्मिक संस्था का ऐसा न्यासी अभिप्रेत है जिसके पद का उत्तराधिकार, जब तक कि उत्तराधिकार की ऐसी पद्धति (स्कीम) प्रवृत्त है, आनुवंशिक अधिकार द्वारा, या तत्समय पदासीन न्यासी द्वारा, नामांकन द्वारा न्यायगत होता है या रूढ़ि द्वारा विनियमित होता है या संस्थापक द्वारा विनिर्दिष्टतया उपबंधित है;

(ज) "हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था" से, मठ, मन्दिर, समाध, समाधि, डेरा और उससे सम्बद्ध विन्यास या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ धार्मिक उद्देश्य से स्थापित विनिर्दिष्ट विन्यास अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :–

(i) किसी मठ या मन्दिर, समाध, समाधि या डेरा में पूजा के लिए या उसमें रख रखाव या सुधार, परिवर्धन के लिए उनसे सम्बन्धित किसी सेवा या पूर्त कार्य के लिए दी गई या विन्यस्त सम्पूर्ण जंगम या स्थावर सम्पत्ति;

(ii) मठ या मन्दिर, समाध, समाधि या डेरा में स्थापित मूर्तियां, कपड़े, आभूषण और अलंकरण की अन्य वस्तुएं आदि; और

(iii) राज्य सरकार के सीधे नियन्त्रणाधीन धार्मिक संस्था किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे प्राइवेट धार्मिक मठ या मन्दिर सम्मिलित नहीं हैं जिनमें लोग हितबद्ध नहीं हैं :

परन्तु किसी भी हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक संस्था में श्रद्धालुओं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नकद या वस्तु रूप में कोई चढ़ावा ऐसी धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्ति समझा जाएगा;

(झ) "संयुक्त आयुक्त (मन्दिर)" से, धारा 3 के अधीन नियुक्त संयुक्त आयुक्त (मन्दिर) अभिप्रेत है ;

(ञ) "मठ" से, हिन्दू विधि के अधीन मठ के रूप में समझा गया मठ अभिप्रेत है;

(ट) "अन आनुवंशिक न्यासी" से, ऐसा न्यासी अभिप्रेत है जो आनुवंशिक न्यासी नहीं है और इसके अन्तर्गत मन्दिर न्यास में इस प्रकार नियुक्त सरकारी अधिकारी या कर्मचारी भी है;

(ठ) "अधिकारी" से, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत मुख्य आयुक्त (मन्दिर), अतिरिक्त मुख्य आयुक्त (मन्दिर), आयुक्त (मन्दिर), संयुक्त आयुक्त (मन्दिर), मन्दिर अधिकारी और सहायक आयुक्त (मन्दिर) भी है;

(ड) "विहित" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) "पुजारी" के अन्तर्गत पण्डा या अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जो पूजा या अन्य धार्मिक कृत्य करता है या उसका संचालन करता है;

(ण) "अनुसूची" से, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(त) "धारा" से, इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(थ) "राज्य" से, हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(द) "मन्दिर" से, किसी भी नाम से ज्ञात ऐसा स्थान अभिप्रेत है जिसका उपयोग सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल के रूप में किया जाता हो और जो सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल के रूप में हिन्दू समुदाय या उसके किसी वर्ग द्वारा अधिकार स्वरूप उपयोग में लाया जाता हो;

(ध) "मन्दिर न्यास" से, धारा 5 के अधीन आयुक्त (मन्दिर) द्वारा गठित न्यास अभिप्रेत है;

(न) "मन्दिर अधिकारी" से, सरकार द्वारा मन्दिर के दिन–प्रतिदिन के प्रबन्धन हेतु नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है; और

(प) "न्यासी" से किसी भी पदनाम से ज्ञात ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है, जिसमें हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास का प्रशासन निहित है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय भी है जो वैसे ही दायी है मानो कि ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय ही न्यासी है।

धारा 3 का प्रतिस्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"3. मुख्य आयुक्त (मन्दिर) और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति.–(1) सरकार के भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग का प्रशासनिक सचिव, सम्पूर्ण राज्य के लिए इस अधिनियम के अधीन या द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए मुख्य आयुक्त (मन्दिर) होगा।

(2) निदेशक, भाषा, कला एवं संस्कृति हिमाचल प्रदेश या सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी, सम्पूर्ण राज्य के लिए, विहित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए अतिरिक्त मुख्य आयुक्त (मन्दिर) होगा।

(3) सरकार, उपायुक्त या किसी अन्य अधिकारी को सम्पूर्ण राज्य या उसके विभिन्न भागों के लिए इस अधिनियम के अधीन या द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए या सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए आयुक्त (मन्दिर) के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(4) सरकार, उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) या किसी अन्य अधिकारी को, सम्पूर्ण राज्य या उसके विभिन्न भागों के लिए, विहित शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का पालन करने के लिए संयुक्त आयुक्त (मन्दिर) के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(5) सरकार, राजस्व विभाग के तहसीलदारों में से या किसी समतुल्य अधिकारी को प्रत्येक मन्दिर के लिए उसके कार्य की देख–रेख करने हेतु मन्दिर अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(6) सरकार, जिला भाषा अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को, सम्पूर्ण राज्य या उसके विभिन्न भागों के लिए, विहित शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का पालन करने के लिए सहायक आयुक्त (मन्दिर) के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(7) सरकार समय–समय पर आयुक्त (मन्दिर) की सहायता करने के लिए ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द, जो वह उचित समझे, की नियुक्ति कर सकेगी।

(8) प्रत्येक मन्दिर न्यास के कर्मचारियों के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो मुख्य आयुक्त (मन्दिर) द्वारा अनुमोदित की जाए :

परन्तु मन्दिर न्यास के कर्मचारियों को संदेय उपलब्धियां और अन्य धनीय प्रसुविधाएं मन्दिर न्यास की आय को ध्यान में रखते हुए विहित की जाएंगी और इस प्रयोजन के लिए सरकार मन्दिरों को, उनके संसाधनों पर आधारित, दो या अधिक वर्गों में वर्गीकृत कर सकेगी। सरकार, यदि उचित समझे, तो मन्दिर न्यास कर्मचारियों की सेवा के निबन्धनों के सम्बन्ध में अनुसरित किए जाने वाले साधारण नियमों को अनुमोदित कर सकेगी और उन्हें इस अधिनियम के अधीन राज्य के मन्दिर न्यासों के प्रत्येक भर्ती और प्रोन्नति नियमों में सम्मिलित किया गया समझा जाएगा।"।

धारा 4 का प्रतिस्थापन।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"4. अधिनियम के अधीन अधिकारी का हिन्दू होना.– इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी हिन्दू धर्म को मानने वाले व्यक्तियों में से होगा ।"।

कतिपय शब्दों का प्रतिस्थापन।

5. मूल अधिनियम में,–

(क) धारा 12, 14, 16, 19, 22 और 28 में "वित्त आयुक्त" शब्द जहां–जहां आते हैं, के स्थान पर "मुख्य आयुक्त (मन्दिर)" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे; और

(ख) धारा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 30 और 34 में "आयुक्त" शब्द जहां–जहां आते है, के स्थान पर "आयुक्त (मन्दिर)" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

6. मूल अधिनियम की धारा 12–क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :– धारा 12–क का प्रतिस्थापन।

"12–क. हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों के सोने और चाँदी का अन्यसंक्रामण.– अनुसूची–1 में यथा सम्मिलित प्रत्येक हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास में श्रद्धालुओं से सोने और चाँदी की विभिन्न किस्मों (प्रकारों) के रूप में प्राप्त चढ़ावे को ऐसी रीति में अन्यसंक्रान्त किया जाएगा, जो विहित की जाए।"।

7. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) में, "आयुक्त" शब्द के स्थान पर "आयुक्त (मन्दिर) स्वयं या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के माध्यम से" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे। धारा 15 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम धारा 18 की उपधारा (5) में, "बीस" शब्द के स्थान पर "पच्चीस" शब्द रखा जाएगा। धारा 18 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :– धारा 23 का संशोधन।

"(4) हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों की वार्षिक संपरीक्षा भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के अनुभाग अधिकारी (राज्य लेखा सेवाएं) द्वारा या स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा या मुख्य आयुक्त (मन्दिर) द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी चार्टर्ड एकाउंटेण्ट द्वारा संचालित की जाएगी।"।

10. मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में, "पूर्त विन्यास" शब्दों के पश्चात् "या मन्दिरों का समूह, यथास्थिति, शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे। धारा 29 का संशोधन।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश हिन्दू धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 हिन्दू लोक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों के बेहतर प्रशासन और ऐसी संस्थाओं की संपत्तियों के संरक्षण हेतु उपबन्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। तथापि, हिन्दू लोक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों के प्रशासन में सक्रिय रूप से अन्तर्वलित अधिकतर प्राधिकारियों को अधिनियम में सम्मिलित नहीं किया गया था। इसलिए ऐसे प्राधिकारियों को अधिनियम में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है। तद्नुसार, ऐसे प्राधिकारियों को नियुक्त करने हेतु परिभाषाएं और प्रक्रिया प्रस्तावित विधान के माध्यम से प्रतिस्थापित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, मन्दिर न्यासों की भूमि और परिसरों पर अधिक्रमण होता आया है, इसलिए, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष समुचित विधि के अधीन कार्यवाहियां प्रारम्भ करने के लिए आवेदन करने हेतु किसी अन्य अधिकारी को प्राधिकृत करने के लिए आयुक्त (मन्दिर) को सशक्त करने के लिए उपबन्ध किए जा रहे हैं। इससे अधिक्रमणों की त्वरित बेदखली सुनिश्चित होने की सम्भावना है। धार्मिक पूजा स्थलों के श्रद्धालुओं की संख्या में दिन–प्रतिदिन बढ़ौतरी हो रही है। इस प्रकार बेहतर प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए न्यासियों की अधिकतम संख्या को तात्कालिक बीस से बढ़ाकर पच्चीस किया जा रहा है। प्रस्तावित विधान का उद्देश्य हिन्दू लोक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों के प्रशासन में सुधार लाना है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(वीरभद्र सिंह)
मुख्य मन्त्री।

शिमला :
तारीख : ....., 2017

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित किए जाने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाने हैं और राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3 और 6 राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2017

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्यांक 18) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(वीरभद्र सिंह)
मुख्य मन्त्री।

(डॉ० बलदेव सिंह)
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला :
तारीख : ..... , 2017

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्याक 18) के उपबन्धों का उद्धरण

धाराएं :

2. **परिभाषाएं.**—इस अधिनियम में,जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "पूर्त विन्यास" से किसी समुदाय या उसके किसी वर्ग के उपयोग के उद्देश्यों के समर्थन या अनुरक्षण के लिए, उनके फायदे के लिए दी गई या विन्यास की गई या उक्त समुदाय या उसके वर्ग द्वारा अधिकार के रूप में प्रयोग में लाई गई सम्पूर्ण सम्पत्ति, जैसे कि सराय, विश्रामगृह, पाठशालाएं, स्कूल और महाविद्यालय, गरीबों को भोजन खिलाने के आवास तथा शिक्षा को बढ़ावा देने की संस्थाएं, चिकित्सा राहत निधि और लोक स्वास्थ्य या इस प्रकार के अन्य उद्देश्य, अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत सम्बन्धित संस्था भी है;

(ख) "आयुक्त" से धारा 3 के अधीन नियुक्त आयुक्त अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत प्रत्येक ऐसा अधिकारी भी है, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, तत्समय आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग या उसके कृत्यों का पालन करता है;

(ग) "वित्त आयुक्त" से इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वित्त आयुक्त अभिप्रेत है;

(घ) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) "आनुवंशिक न्यासी" से धार्मिक संस्था का ऐसा न्यासी अभिप्रेत है; जिसके पद का उत्तराधिकार, जब तक कि ऐसे उत्तराधिकार की पद्धति प्रवृत्त है, आनुवंशिक अधिकार द्वारा या तत्समय पद पर रहने वाले न्यासी द्वारा नामांकन द्वारा न्यायगत होता है या रूढ़ि द्वारा विनियमित होता है या संप्रवर्तक द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित है;

(च) "हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था " से धार्मिक उद्देश्य से सार्वजनिक प्रयोजन के लिए स्थापित मठ, मन्दिर, समाध, समाधि, डेरा और इससे सम्बद्ध विन्यास या विनिर्दिष्ट विन्यास अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित है,–

(i) किसी मठ, मन्दिर, समाध, समाधि या डेरा की या उसमें पूजा के लिए उसके अनुरक्षण या सुधार के लिए या उसमें परिवर्धन के लिए उनसे सम्बन्धित किसी सेवा या पूर्त कार्य के लिए दी गई या विन्यस्त की गई सम्पूर्ण जंगम या स्थावर सम्पति ;

(ii) मठ, मन्दिर, समाध, समाधि या डेरा में स्थापित मूर्तियां, कपड़े, आभूषण और अलंकरण आदि की अन्य वस्तुएं ; और

(iii) राज्य सरकार के सीधे नियन्त्रणधीन, धार्मिक संस्था; किन्तु इसके अर्न्तगत ऐसे निजी धार्मिक मठ, मन्दिर, समाध, समाधि या डेरा सम्मिलित नहीं है जिनमें जनता हितबद्ध नहीं है :

परन्तु किसी हिन्दू धार्मिक संस्था में किसी तीर्थयात्री या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई चढ़ावा, चाहे वस्तु रूप में या नकद में हो, ऐसी धार्मिक संस्था की सम्पत्ति समझी जाएगी; " ; और

(छ) "मठ " से हिन्दू विधि के अधीन मठ के रूप में समझा गया मठ अभिप्रेत है;

(ज) "अन–आनुवंशिक न्यासी" से ऐसा न्यासी अभिप्रेत है जो आनुवंशिक न्यासी नहीं है;

(झ) "विहित " से इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाए गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ञ) "पुजारी " के अन्तर्गत पांडा या न्यासी के रूप में पद धारण करने वाले आनुवंशिक न्यासियों से अन्यथा पूजा या अन्य धार्मिक कर्मकाण्ड करने के लिए आयुक्त द्वारा नियुक्त व्यक्ति है ;

(ट) "अनुसूची " से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ठ) "मंदिर " से ऐसा स्थान अभिप्रेत है, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, जिसका उपयोग सार्वजनिक धार्मिक पूजा–स्थल के रूप में किया जाता हो और जो सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल के रूप में हिन्दू समुदाय या उसके किसी वर्ग को या उसके फायदे के लिए समर्पित किया गया हो या उक्त समुदाय या वर्ग द्वारा अधिकार स्वरूप इस उपयोग में लाया जाता हो ;

(ड) "न्यासी " से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है , चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो , जिसमें हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास का प्रशासन निहित हो और उसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय भी है जो वैसे ही दायी है मानो ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय न्यासी है।

3. **आयुक्त और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति.**–(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य या उसके विभिन्न भागों के लिए एक या अधिक आयुक्तों की नियुक्ति करेगी।

"(1–क) राज्य सरकार का प्रधान सचिव या सचिव (भाषा, कला एवं संस्कर्षते) मुख्य आयुक्त (मन्दिर) होगा।

(2) राज्य सरकार , आयुक्त की सहायता के लिए समय–समय पर, ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारिवष्द की,जैसा कि वह उचित समझे , नियुक्ति कर सकेगी।

(3) उप–नियम (2) के अधीन , नियुक्त अधिकारियों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी सरकार अवधारित करे और मन्दिर न्यासों के कर्मचारियों के भर्ती और प्रोन्नति नियम तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जैसी मुख्य आयुक्त (मन्दिर) द्वारा अधिसूचित की जाएं।

4. **आयुक्त का हिन्दू होना.**– आयुक्त और अन्य ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति, जिन्हें आयुक्त की किसी या सभी शक्तियों का प्रयोग और उसके कृत्यों का अनुपालन करने के लिए नियुक्त किया जाये, हिन्दु धर्म मानने वाले व्यक्तियों में से की जायेगी।

5. **आयुक्त की शक्तियां और कृत्य.**– (1) इस अधिनियम के अन्य उपवन्धों के अधीन रहते हुए सभी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों का प्रशासन , आयुक्त के साधारण अधीक्षण और नियन्त्रण के अधीन होगा और ऐसे अधीक्षण और नियन्त्रण के अन्तर्गत ऐसे आदेश पारित करने की शक्ति भी होगी जो सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझा जाए कि ऐसी संस्थाओं या विन्यासों का प्रशासन उचित रूप से किया जा रहा है और उनकी आय उन्हीं प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जा रही है जिसके लिए ये स्थापित किए गए थे या विद्यमान हैं।

(2) पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयुक्त, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और न्यस्त कृत्यों का अनुपालन करेगा।

(3) धारा 20 के अध्यधीन आयुक्त, यदि उचित समझे, मन्दिर के अधीक्षण और नियन्त्रण के लिए न्यासियों की प्रबन्ध समिति का गठन कर सकेगा।

(4) किसी भी मन्दिर में भर्ती, यान का कय या नया निर्माण कार्य मुख्य आयुक्त (मन्दिर) के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

(5) आयुक्त प्रत्येक स्कीम में पचास हजार रुपए तक के लिए वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा और जिन स्कीमों में पचास हजार रूपए से अधिक का व्यय अन्तर्वलित है उन्हें मुख्य आयुक्त (मन्दिर) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और ऐसी स्कीमें निदेशक, भाषा और संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा मुख्य आयुक्त (मन्दिर) को अग्रेषित की जाएंगी:

परन्तु इस उप–धारा के अधीन नियत अधिकतम सीमा मन्दिर, न्यासों, समितियों या न्यासों या समितियों के नियन्त्रणाधीन अन्य संस्थाओं के कर्मचारिवृन्द के वेतन या मानेदय के लिए लागू नहीं होंगी।

6. **धार्मिक संस्थाओं द्वारा रजिस्टरों का तैयार किया जाना और उनका अनुरक्षण.–** (1) प्रत्येक हिन्दू सार्वजनिक संस्था और पूर्त विन्यास के लिए, ऐसा प्ररूप और ढंग में, जैसा कि विहित किया जाए, एक रजिस्टर तैयार किया और रखा जाएगा जिसमें निम्नलिखित बाते दर्शित की जाएंगी:–

(क) संस्था की सम्पत्ति और इतिहास, भूतपूर्व और वर्तमान न्यासियों के नाम और न्यासी के पद के उतराधिकार सम्बन्धी रूढि या प्रथा की, यदि कोई हो, विशिष्टियां ;

(ख) प्रशासन की स्कीम और व्यय के मान की विशिष्टियां ;

(ग) उन सभी पदों के नाम जिनसे कोई वेतन, परिश्रमिक या परिलब्धि संलग्न है और प्रत्येक मामले में सेवा का स्वरूप, समय और शर्तें ;

(घ) धन, आभूषण, सोना, चांदी, रत्न, बर्तन और पात्र और संस्था की अन्य चल सम्पतियां उनके बजन सहित, संघटक तत्वों का ब्यौरा और उनका अनुमानित मूल्य ;

(ङ) संस्था की जंगम सम्पत्तियां और अन्य सभी विन्यासों की और समस्त हक–विलेखों और दस्तावेजों की विशिष्टयां;

(च) संस्था में की या उनसे सम्बद्ध मूर्तियों और अन्य प्रतिमाओं की, चाहे वे पूजा के लिए आशयित हों या शोभा यात्रा में ले जाने के लिए हों, विशिष्टियां, उनके संघटक तत्वों के विवरण और रंगीन फोटो चित्र;

(छ) प्राचीन या ऐतिहासिक अभिलेखों की, उनकी संक्षिप्त विषय–वस्तु सहित विशिष्टियां ;

(ज) ऐसी अन्य विशिष्टियां जैसी कि आयुक्त द्वारा अपेक्षित हों।

(2) रजिस्टर, सम्बन्धित संस्था के न्यासी द्वारा या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा तैयार, हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा और वह आयुक्त द्वारा इस निमित्त उसे तामील करवाई गई सूचना की तारीख से तीन मास के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो आयुक्त द्वारा अनुज्ञात की जाए, उसे दो प्रतियों में, आयुक्त को प्रस्तुत करेगा :

परन्तु प्रत्येक न्यासी या इस निमित, उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत उसके अभिकर्ता से एक शपथ–पत्र देने की अपेक्षा की जायेगी कि रजिस्टर में यथादर्शित , संस्था के स्वामित्वाधीन जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पति की सूची पूर्ण है।

(3) आयुक्त, ऐसी जांच करने के पश्चात, जैसी वह आवश्यक समझे, रजिस्टर में ऐसे परिवर्तन, लोप या परिवर्धन करने की, जैसे वह उचित समझे, सिफारिश और निदेश, न्यासी को कर सकेगा।

(4) न्यासी, आयुक्त के निर्देशों का पालन करेगा और आदेश की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर रजिस्टर को आयुक्त के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा और ऐसा करने में असफल होने पर, रजिस्टर तदनुसार शुद्ध किया गया समझा जाएगा।

(5) आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित रजिस्टर की एक प्रति, न्यासी को उपलब्ध करवाई जाएगी।

7. **रजिस्टर का वार्षिक सत्यापन.**– (1) न्यासी या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता , प्रत्येक वर्ष या ऐसे अन्तरालों पर जैसा विहित किया जाए, रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों की संवीक्षा करेगा और सत्यापित विवरणी को, जिसमें रजिस्टर में किए जाने वाले परिवर्तन, लोप और परिवर्धन दर्शित किए गए हैं, आयुक्त के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा।

(2) आयुक्त, तब ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, रजिस्टर में परिवर्तन, लोप या परिवर्धन, यदि कोई हो, करने के निदेश दे सकेगा।

(3) उप–धारा (2) के अधीन किए गए ओदश की एक प्रति न्यासी को उपलब्ध करवाई जाएगी।

(4) न्यासी उन परिवर्तनों, लोपों या परिवर्धनों को जिनका आदेश आयुक्त ने दिया है, अपने द्वारा रखे गए रजिस्टर की प्रति मे, आदेश की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर करेगा और ऐसा करने में असफल होने पर, रजिस्टर की प्रति तदनुसार शुद्ध की गई समझी जायेगी।

8. **अधिनियम के अधीन किए गए आदेशों का पालन करने के लिए न्यासी का बाध्य होना.**– हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास का न्यासी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन आयुक्त द्वारा दिए गए सभी निदेशों और आदेशों का पालन करेगा।

9. **न्यासी से अपेक्षित सावधानी और उसकी शक्तियां.**– (1) प्रत्येक हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास का न्यासी उसके कार्यों का प्रशासन और उसकी निधियों और सम्पतियों का उपयोग न्यास के निबन्धनो, संस्था की रूढ़ियों और प्रथाओं और ऐसे वैध निदेशों के अनुसार करेगा जो सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त उसे दें।

(2) न्यासी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास के प्राज्ञवान और फायदाप्रद प्रशासन की आनुषंगिक सभी शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार होगा और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के सम्यक् अनुपालन के लिए प्रत्येक आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(3) न्यासी, पद से अपने हटाए जाने के लिए या उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए या उसके आनुषंगिक किसी वाद, अपील या आवेदन में अपने द्वारा उपगत खर्चों, प्रभारों और व्ययों को पूरा करने के लिए, हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास की निधियों का व्यय करने का हकदार नहीं होगा;

परन्तु न्यासी ऐसे खर्चों, प्रभारों या व्ययों से अपनी प्रतिपूर्ति कर सकेगा यदि उसे आयुक्त द्वारा ऐसा करने की विनिर्दिष्ट अनुमति दे दी गई हों।

10. **न्यासी द्वारा लेखाओं और विवरणियों इत्यादि का प्रस्तुत किया जाना.**– प्रत्येक, हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास का न्यासी, उसके प्रभार में की संस्था के प्रशासन, उसकी निधियों, सम्पत्ति या आय या उससे सम्बद्ध धनराशि या उसके विनियोजन संबन्धी ऐसे लेखा–विवरणियां, रिपोर्टें या अन्य सूचनाएं जैसी आयुक्त अपेक्षा करें, आयुक्त को देगा और वे ऐसे समय और ऐसे प्ररूप में दी जायेंगी जैसा कि वह निदेश दे।

11. **सम्पत्ति और दस्तावेजों का निरीक्षण.**– (1) आयुक्त इस निमित, आयुक्त या सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति किसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास की समस्त जंगम या स्थावर सम्पत्ति और उससे सम्बन्धित समस्त अभिलेखों, पत्राचार, योजनाओं, लेखाओं और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा और ऐसी संस्था और विन्यास के न्यासी और उसके अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों, इसके अभिकर्ता और उसके प्रशासन से सम्बद्ध किसी भी

व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी सभी सहायता और सुविधाएं दे जो ऐसे निरीक्षण के सम्बन्ध में आवश्यक और युक्ति–युक्त रूप से अपेक्षित हों और ऐसी किसी भी जंगम सम्पत्ति या दस्तावेज को, यदि अपेक्षित हो, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत भी करे।

(2) पूर्वोक्त निरीक्षण के प्रयोजनार्थ निरीक्षण अधिकारी को, स्थानीय आचार, रूढ़ि या प्रथा के अधीन रहते हुए किसी भी सार्वजनिक धार्मिक संस्था के परिसर में या पूजा के किसी भी स्थल में, युक्तियुक्त समय पर प्रवेश करने की शक्ति होगी।

(3) इस धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को उप–नियम (2) में निर्दिष्ट परिसर या स्थल या उसके किसी भाग मे प्रवेश करने का प्राधिकार देने वाली तब तक नहीं समझी जाएगी जब तक ऐसा व्यक्ति उस धर्म को मानने वाला न हो जिसका ऐसा परिसर या स्थल है।

12. **सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों को स्थावर सम्पत्ति का हस्तान्तरण.**– (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास की या उसके प्रयोजनार्थ दी गई या विन्यास की गई किसी स्थावर सम्पत्ति का विनिमय, विक्रय या बंधक या किसी भी अन्य रीति से अन्तरण या पट्टा तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक ऐसा अन्तरण आयुक्त द्वारा संस्था के लिए आवश्यक या फायदाप्रद होने के कारण मंजूर नहीं कर दिया जाता है और इस उप–धारा के उल्लंघन में किया गया कोई भी अन्तरण शून्य और प्रभावहीन होगा।

(2) ऐसी मंजूरी देते समय, आयुक्त, उसे ऐसी शर्तों और निदेशों के अधीन घोषित कर सकेगा जैसा कि वह संव्यवहार द्वारा प्राप्त रकम के उपयोग, उसके विनिधान और बन्धक के मामले में, युक्तियुक्त अवधि के भीतर, उसके उन्मोचन के बारे में आवश्यक समझे।

(3) इस धारा के अधीन आयुक्त के आदेश की एक प्रति न्यासी को भेजी जाएगी और ऐसी रीति से प्रकाशित की जाएगी जैसी विहित की जाए।

(4) न्यासी, आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर और इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति उसके प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर , वित्त आयुक्त को अपील कर सकेगा जो आदेश को उपांतरित या अपास्त कर सकेगा।

12–क. **हिन्दू सार्वजानिक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों के सोने और चाँदी का अन्यसंक्रामण.**–(1) हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों द्वारा सोने और चाँदी के विभिन्न प्रकारों में प्राप्त श्रद्धालुओं के चढ़ावे को उपधारा (2) के अधीन गठित समिति के अनुमोदन के

पश्चात् शोधित, विनिहित और व्ययनित करवाया जाएगा। सोने और चाँदी को खान और खनिज व्यापारिक निगम, मुम्बई से शोधित करवाया जाएगा और उसका निवेश तथा व्ययन, निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात् :–

(क) **सोना** :

(i) दस प्रतिशत सोना मन्दिर से सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाया जाएगा ;

(ii) बीस प्रतिशत सोने का निवेश भारतीय स्टेट बैंक की "स्वर्ण बॉन्ड स्कीम" में किया जाएगा;

(iii) बीस प्रतिशत सोना मन्दिर में आरक्षित (रिजर्व) रखा जाएगा ; और

(iv) पचास प्रतिशत सोने को, सोने के बिस्कुटों या सिक्कों में परिवर्तित किया जाएगा और उनका तत्समय विद्यमान चालू बाजार कीमत पर श्रद्धालुओं तथा तीर्थ यात्रियों को विक्रय किया जाएगा।

(ख) **चाँदी** :

(i) बीस प्रतिशत चाँदी मन्दिर से सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाई जाएगी ;

(ii) बीस प्रतिशत चाँदी मन्दिर में आरक्षित (रिजर्व) रखा जाएगा ; और

(iii) साठ प्रतिशत चाँदी सक्कों में परिवर्तित किया जाएगा और उनका तत्समय विद्यमान चालू बाजार कीमत पर श्रद्धालुओं तथा तीर्थ यात्रियों को विक्रय किया जाएगा।

(2) सोने और चाँदी के शोधन और उनके व्ययन के लिए अनुमोदन प्रदान करने के प्रयोजन के लिए आयुक्त (मन्दिर) द्वारा समिति गठित की जाएगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:–

(i) सम्बद्ध आयुक्त (मन्दिर) – अध्यक्ष ;
(ii) मन्दिर न्यास का शासकीय सदस्य – सदस्य ;

(iii)	राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले दो गैर–सरकारी सदस्य	–	सदस्य ;
(vi)	सम्बद्ध जिला भाषा अधिकारी	–	सदस्य ; और
(vii)	सम्बद्ध मन्दिर का मन्दिर अधिकारी	–	सदस्य सचिव।

(3) गैर–सरकारी सदस्यों की पदावधि, अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष होगी, तथापि गैर–सरकारी सदस्य को राज्य सरकार द्वारा, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, उसकी पदावधि के अवसान से पूर्व किसी भी समय हटाया जा सकेगा।

(4) गैर–सरकारी सदस्य, समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियमों और अनुदेशों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता लेने का हकदार होगा। यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता मन्दिर अधिकारी द्वारा सम्बद्ध मन्दिर की आय से संदत्त किया जाएगा।

(5) उपधारा (2) के अधीन गठित समिति के कृत्यों के अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) और पर्यवेक्षण के लिए प्रधान सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति) एवं मुख्य आयुक्त (मन्दिर) द्वारा राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जाएगा।

समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :–

(i)	मुख्य आयुक्त (मन्दिर)	अध्यक्ष ;
(ii)	निदेशक, (भाषा एवं सस्कृति) हिमाचल प्रदेश	सदस्य ; और
(iii)	वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव या इससे ऊपर की पंक्ति का होगा।	सदस्य।

14. **विधि–विरूद्ध तथा अन्य संक्रांत स्थावर सम्पत्ति का प्रत्युद्धरण.**– (1) जब भी आयुक्त को यह सूचना प्राप्त होती है कि किसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास की किसी सम्पत्ति का अन्य संक्रामण धारा 12 के उल्लंघन में किया गया है तो वह इस मामले को वित्त आयुक्त को निर्दिष्ट करेगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन निर्देश के प्राप्त होने पर , वित्त आयुक्त विहित रीति से संक्षिप्त जांच करेगा और इस बात का समाधान होने पर कि ऐसी किसी सम्पत्ति का अन्य संक्रामण इस प्रकार किया गया है उसका कब्जा संस्था या विन्यास के न्यासी को देगा।

15. **धार्मिक संस्था और विन्यास की भूमि और परिसर पर अधिक्रमण का हटाना.**—(1) हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1971 के उपबन्ध जहां तक हो सके, किसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास की किसी भी भूमि या परिसर के अप्राधिकृत अधिभाग की बाबत उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह उस अधिनियम के अर्थान्तर्गत सरकारी सम्पत्ति हो ।

(2) आयुक्त, उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां आरम्भ करने के लिए तद्धीन सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा और तत्पश्चात् ऐसे प्राधिकारी के लिए उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करना विधिसंगत होगा ।

16. **हिन्दू धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास के संरक्षण के लिए कार्य करने की शक्ति.**—(1) जहाँ आयुक्त को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि:—

(क) किसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास की किसी सम्पत्ति को नष्ट होने, क्षतिग्रस्त होने या किसी न्यासी या किसी व्यक्ति द्वारा अन्य संक्रामण को खतरा है;

या

(ख) न्यासी या ऐसा व्यक्ति उस सम्पति को हटाने या व्यय करने की धमकी देता है या ऐसा करने का आशय रखता है, वहां आयुक्त, ऐसी सम्पति के नाश, क्षति, अन्य संक्रामण, विक्रय हटाने या व्ययन को रोकने और निवारित करने के प्रयोजनार्थ आदेश द्वारा अस्थायी व्यक्ति या ऐसा अन्य आदेश, व्यादेश की अवधि, लेखा रखने, सुरक्षा प्रदान करने, सम्पति को प्रस्तुत करने बारे में या अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।

(2) आयुक्त ऐसे सभी मामलों में सिवाय उन मामलों के जहां यह प्रतीत होता हो कि विलम्ब के कारण व्यादेश मंजूर करने का उद्देश्य निष्फल हो जायेगा, व्यादेश मंजूर करने से पूर्व, तथ्यों की सूचना न्यासी या सम्बन्धित व्यक्ति को देगा।

(3) आयुक्त, न्यासी या सम्बन्धित व्यक्ति को सुनने और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह ठीक समझे, व्यादेश के आदेश को, पुष्ट, प्रभावोन्मुक परिवर्तित या अपास्त कर सकेगा या समुचित आदेश पारित कर सकेगा।

(4) आयुक्त व्यादेश या इसकी किसी शर्त या इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश की अवज्ञा या उल्लंघन के मामले में, वित्त आयुक्त को आवेदन कर सकेगा जो आयुक्त और प्रभावित पक्षकार की सुनवाई के पश्चात ऐसी अवज्ञा या उल्लंघन के दोषी व्यक्ति की सम्पति को कुर्क करने के

आदेश दे सकेगा और उक्त व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए जो एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी सिविल कारागार में निरूद्ध रखने के आदेश भी कर सकेगा। इस उप–धारा के अधीन कोई भी कुर्की दो वर्ष से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगी। ऐसे समय की समाप्ति पर यदि अवज्ञा या उल्लंघन जारी रहता है तो कुर्क सम्पति का विक्रय किया जा सकेगा और जिला न्यायाधीश विक्रय के आगम में से ऐसा प्रतिकर अधिनिर्णीत कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे और अतिशेष का, यदि कोई हो, उसके लिए हकदार व्यक्ति को भुगतान करेगा और तदुपरि किया गया व्यादेश या इस धारा के अधीन आयुक्त द्वारा पारित कोई आदेश, यदि प्रवृत हो, बातिल या रद्द हो जायेगा।

(5) न्यासी या कोई व्यक्ति, जिसके विरूद्ध व्यादेश का आदेश या इस अधिनियम के अधीन कोई अन्य आदेश पारित किया गया हो, ऐसे आदेश की सूचना की तारीख से नब्बे दिन के भीतर ऐसे आदेश के विरूद्ध वित्त आयुक्त को अपील कर सकेगा।

18. **अन–आनुवंशिक न्यासों और पुजारी की नियुक्ति और पदावधि** .–(1) आयुक्त, ऐसे मामलों में, जहां हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास का आनुवंशिक न्यासी या पुजारी नहीं है, ऐसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास के लिए, यथास्थिति, अन–आनुवंशिक न्यासी या पुजारी की नियुक्ति करेगा, और ऐसी नियुक्ति करते समय उसे उस धार्मिक सम्प्रदाय के व्यक्तियों का ध्यान रखना पड़ेगा जिनके हित के लिए कथित संस्था और पूर्त विन्यास मुख्यतः अनुरक्षित है।

(2) अन–आनुवंशिक न्यासी या पुजारी पांच वर्ष की अवधि के लिए तब तक पद धारण करेगा जब तक कि इसी बीच न्यासी या पुजारी को हटाया या पदच्युत नहीं किया जाता है या वह न्यासी या पुजारी नहीं रह जाता है।

(3) प्रत्येक अन–आनुवंशिक न्यासी या पुजारी जो उस तारीख को, जो सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, विधिपूर्वक पद धारण करता है अपनी पदावधि के अपर्यवसित भाग के लिए या यदि पदावधि नियत न हो तो आगामी पांच वर्ष की अवधि के लिए इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

(4) अन–आनुवंशिक न्यासी या पुजारी पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(5) उप–धारा (1) में अर्न्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त शासकीय, अशासकीय, आनुवंशिक तथा अन–आनुवंशिक न्यासियों सहित बीस से अधिक न्यासियों को नियुक्त नहीं करेगा जो न्यास का गठन करेंगे।

(6) न्यास की बैठक के लिए गणपूर्ति न्यासियों की कुल संख्या के दो तिहाई से होगी।

19. **न्यासियों और पुजारियों को निलम्बित करने, हटाने या पदच्युत करने की शक्ति.**– (1) आयुक्त, किसी भी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास के न्यासी या पुजारी को निम्नलिखित कारणों से निलम्बित, हटा या पदच्युत कर सकेगा:–

(क) आयुक्त या इस निमित प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को बजट, लेखा, रिपोर्ट या विवरणियां प्रस्तुत करने में लगातार व्यतिक्रम ;

(ख) आयुक्त या सरकार द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी किए गए किसी भी आदेश की जानबूझ कर अवज्ञा करना ;

(ग) हिन्दू धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास के बारे में किसी दुष्करण, अपकरण, न्यासभंग या कर्तव्य की उपेक्षा या इस अधिनियम के उल्लंघन में किसी सम्पति का अन्य संक्रामण करना;

(घ) धार्मिक संस्था और विन्यास की सम्पत्ति का, जिसका वह न्यासी या पुजारी है, दुर्विनियोग या अनुचित व्यवहार ;

(ङ) मन्दिर में, मादक–शराब या मादक द्रव्य के प्रभावाधीन पाया जाना ;

(च) विकृतचितता या अन्य मानसिक या शारीरिक त्रुटि या अशक्तता, जो उसे न्यासी या पुजारी के कृत्यों का पालन करने में अनुपयुक्त बनाती है :

परन्तु कोई न्यासी या पुजारी इस अधिनियम के अधीन आयुक्त द्वारा तब तक हटाया या पदच्युत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है।

(2) अन–आनुवंशिक न्यासी या पुजारी जिसको, उप–नियम (1) के अधीन आयुक्त द्वारा निलम्बित, हटाया या पदच्युत किया जाता है वह निलम्बन, हटाए जाने या पदच्युति के आदेश की प्राप्ति की तारीख से, एक मास के भीतर ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से अपील कर सकेगा जो सरकार द्वारा विहित किया जाये।

(3) आनुवंशिक न्यासी या पुजारी, जिसको उप–नियम (1) के अधीन आयुक्त द्वारा निलम्बित, हटाया या पदच्युत किया जाता है, वह आदेश की प्राप्ति की तारीख से, दो मास के भीतर वित्त आयुक्त को अपील कर सकेगा।

(4) ऐसे निलम्बित, हटाए गए या पदच्युत आनुवंशिक न्यासी या पुजारी को ऐसा भरणपोषण अनुज्ञात किया जा सकेगा जो आयुक्त द्वारा, संस्था की आर्थिक स्थिति पर विचार करते हुए, नियत किया जाए।

21. **आनुवंशिक न्यासी या पुजारी के पद में रिक्ति का भरा जाना.–** (1) जब हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास के आनुवंशिक न्यासी या पुजारी के पद में रिक्ति हो जाती है तो उत्तराधिकार परम्परा में, निकटतम उत्तरवर्ती कार्यभार संभालेगा।

(2) जब, यथास्थिति, धारा 19 की उप–धारा (1) के अधीन आनुवंशिक न्यासी या पुजारी के निलम्बन के कारण या धारा 20 के उपबन्धों के अधीन उसका पद धारण करना समाप्त हो जाने के कारण ऐसे पद में अस्थायी रिक्ति हो जाती है तो आयुक्त उत्तराधिकार परम्परा में निकटतम उत्तरवर्ती को, यथास्थिति, न्यासी या पुजारी के कृत्यों का पालन करने के लिए तब तक नियुक्त करेगा जब तक ऐसी निर्योग्यता समाप्त नहीं हो जाती है।

(3) जब ऐसे पद में स्थायी या अस्थायी रिक्ति हो जाती है और इस पद के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में कोई विवाद है या जब ऐसी रिक्ति तुरन्त नहीं भरी जा सकती है या ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में विवाद है जो उस रूप में कार्य करने का हकदार है तो आयुक्त, धार्मिक संस्था और विन्यास के न्यासी या पुजारी के कृत्यों का पालन करने के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को उस समय तक के लिए जब तक आनुवंशिक न्यासी या पुजारी की निर्योग्यता समाप्त नहीं हो जाती है या कोई दूसरा आनुवंशिक न्यासी या पुजारी पदभार संभाल नहीं लेता है या ऐसी अल्पावधि के लिए, जैसा आयुक्त निदेश दे, नियुक्त कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.–इस धारा के अधीन नियुक्ति करते समय, आयुक्त, उत्तराधिकार के अधिकारी परिवार के सदस्यों के दावों का, यदि कोई हो, पूरा ध्यान रखेगा।

22. **धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों का बजट.–** (1) हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास के न्यासी, प्रतिवर्ष दिसम्बर के अन्त से पूर्व ऐसे प्राधिकारी को और ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से, जैसी राज्य सरकार विहित करे, हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यासों को आगामी वर्ष के दौरान सम्भाव्य प्राप्तियों और संवितरणों को दर्शित करते हुए बजट प्रस्तुत करेंगे।

(2) ऐसे प्रत्येक बजट में निम्नलिखित के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी :–

(क) तत्समय प्रवृत्त व्ययों का मान और रूढ़िगत व्यय ;
(ख) संस्था और विन्यास पर आबद्धकर सभी दायित्वो का सम्यक् निर्वहन ;

(ग) संस्था के उद्देश्यों से अनसंगत धार्मिक, शैक्षणिक और पूर्त प्रयोजनों पर व्यय ;

(घ) धार्मिक संस्था के सिद्धांतों के अनुसार धार्मिक शिक्षा के प्रोत्साहन और विस्तार ;

(ङ) हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास के भवनों की मुरम्मत और नवीकरण और सम्पति तथा आस्तियों के परिरक्षण और संरक्षण पर व्यय; और

(च) ऐसे व्ययों की रकम जो न्यासी द्वारा धारा 17 के अधीन उपगत किए जा सकेंगे।

(3) आयुक्त बजट की प्राप्ति पर, ऐसे परिवर्तन, लोप या परिवर्धन कर सकेगा जैसे कि वह उचित समझे।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के या किसी प्रतिकूल रूढ़ि, प्रथा या आचरण के होते हुए भी आयुक्त, किसी पद के धारक के लिए पारिश्रमिक या धार्मिक संस्था और विन्यास की बाबत किसी व्यय को किसी अन्य मद के लिए की गई व्यवस्था में वृद्धि, कमी या उपान्तरण कर सकेगा, यदि ऐसी वृद्धि कमी या उपान्तरण धार्मिक संस्था और विन्यास की वित्तीय परिस्थितियों और हित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हो।

(5) न्यासी, आयुक्त द्वारा उप–धारा (3) या उप–धारा (4) के अधीन पारित आदेश की उस द्वारा प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर ऐसे आदेश के विरूद्ध वित्त आयुक्त को अपील कर सकेगा।

(6) लेखा परीक्षा और लेखा विवरणिका सहित, वार्षिक बजट अनुमोदन के लिए प्रबन्ध समिति के समक्ष रखा जाएगा।

23. **लेखे.**–(1) प्रत्येक हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास का न्यासी सभी प्राप्तियों और संवितरण के नियमित लेखे रखेगा। ऐसे लेखे प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के लिए पृथक–पृथक ऐसे प्ररूपों में रखे जायेंगे और उनमें ऐसी विशिष्टियां होंगी जैसी आयुक्त विनिर्दिष्ट करे।

(2) जब भी, आयुक्त के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि –

(क) न्यासी, सभी प्राप्तियों और संवितरण का उप–धारा (1) के अधीन अपेक्षित नियमित लेखा नहीं रख रहा है ; या

(ख) हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास के सम्बन्ध में व्यय धारा 22 के अधीन अनुमोदित बजट के अनुसार उपगत नहीं किया जा रहा है ; या

(ग) हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास की वित्तीय स्थिति को अभिनिश्चित करना आवश्यक हो गया है ;

तो आयुक्त न्यासी को निम्नलिखित के लिए निदेश दे सकेगा :–

(i) ऐसी संस्था और विन्यास का और ऐसी अवधि के सम्बन्ध में जो आयुक्त विनिर्दिष्ट करे, सही और संपरीक्षित लेखा देना , या

(ii) जहां लेखाओं की वार्षिक लेखा परीक्षा नहीं की गई है वहां लेखाओं की ऐसी अवधि के लिए जो आयुक्त विनिर्दिष्ट करे, चार्टर्ड एकाऊंटेंट अधिनियम, 1949 के अर्थान्तर्गत चार्टर्ड एकाऊंटेंट से या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति से, जिसे सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करें, लेखा परीक्षा करवाना।

(3) उप–धारा (2) के अधीन लेखा परीक्षा करने वाले लेखा परीक्षक की पहुंच, न्यासी के कब्जे या नियन्त्रणाधीन लेखाओं, और सभी वहियों, वाऊचरों, अन्य दस्तावेज़ों और अभिलेखों तक होगी। न्यासी ऐसी पहुंच के लिए लेखा परीक्षक को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवायेगा।

(4) मन्दिर न्यासों की आन्तरिक लेखा परीक्षा भाषा एवं संस्कषति विभाग के अनुभाग अधिकार (एस0 ए0 एस0) द्वारा संचालित की जाएगी।

25. **धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास से सम्बन्धित सम्पत्ति के सदोष विधारण के लिए दण्ड.–** कोई भी व्यक्ति, जो

(क) किसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास की जिसका प्रबन्ध इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विनियमित किया गया है, किसी सम्पत्ति, दस्तावेज या लेखा वहियों को अपने कब्जे, अभिरक्षा अथवा नियन्त्रण में रखते हुए, ऐसी सम्पत्ति या दस्तावेज या लेखा वहियों को आयुक्त से या सरकार या आयुक्त द्वारा उनका निरीक्षण करने या मांगने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से सदोष विधारण करेगा ;

(ख) ऐसी धार्मिक संस्था और विन्यास की किसी सम्पति, दस्तावेज या लेखा वहियों का सदोष कब्जा अभिप्राप्त करेगा या प्रतिधारित करेगा या उसे जानबूझ कर विधारित करेगा या आयुक्त को या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को देने या परिदत्त करने मे असफल रहेगा; या

(ग) ऐसी धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास की सम्पत्ति, दस्तावेज या लेखा बहियों, को सदोष हटाएगा, नष्ट करेगा या विकृत करेगा ;

वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

27. **निदेश देने की शक्ति.**– सरकार, समय–समय पर, आयुक्त द्वारा इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी निदेश को रद्द, उपांतरित या परिवर्तित कर सकेगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावी कार्यन्वयन के, लिए आयुक्त को साधारण या विनिर्दिष्ट निदेश दे सकेगी और आयुक्त अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में उनका अनुसरण करेगा।

28. **राज्य सरकार की पुनर्विलोकन की शक्ति.**– राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या इस अधिनियम के अधीन, वित्त आयुक्त द्वारा किए गए किसी आदेश या निर्णय से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर, ऐसे आदेश या निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकेगी और उस पर ऐसा आदेश कर सकेगी जैसा वह ठीक समझे :

परन्तु राज्य सरकार, इस धारा के अधीन कोई आदेश करने से पूर्व, ऐसे व्यक्ति को जिस पर ऐसे आदेश से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी।

29. **अनुसूची के संशोधन की शक्ति.**– (1) यदि सरकार की यह राय हो कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन या आवश्यक है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास को अनुसूची–1 में जोड़ सकेगी या उसमें से लोप कर सकेगी और ऐसी अधिर्सूचना के जारी किए जाने पर अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जायेगी।

(2) ऐसी प्रत्येक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जायेगी।

30. **शक्तियों का प्रत्यायोजन.**– (1) राज्य सरकार, धारा 3 की उप–धारा (1) और धारा 34 के अधीन अपने द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के सिवाये इस अधिनियम के अधीन अपनी किन्हीं भी शक्तियों और कृत्यों को आयुक्त या किसी अन्य अधिकारी को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी वह अधिरोपित करे, प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(2) सरकार यह भी निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए किसी अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी भी शक्ति का प्रयोग और अनुपालन किसी अन्य अधिकारी द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए किया जायेगा जैसी वह अधिरोपित करे।

(3) ऐसे निदेशों और अनुदेशों के अधीन रहते हुए जैसे कि सरकार, समय–समय पर, जारी करें, आयुक्त सरकार के पूर्व अनुमोदन से अपने किन्हीं कृत्यों को, सरकार के किसी अन्य अधिकारी को या उसके अधीन कार्यरत किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकेगा और वैसी ही रीति से, इस प्रकार

प्रत्यायोजित किसी भी कृत्य को, प्रत्याहृत कर सकेगा। आयुक्त कोई भी ऐसे निबन्धन और शर्तें निर्धारित कर सकेगा जिनके अधीन रहते हुए इस प्रकार प्रत्यायोजित कृत्यों का अनुपालन किया जायेगा।

34. **नियम बनाने की शक्ति.**– (1) सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा –

(क) धारा 3 के अधीन नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द की सेवा शर्तें ;

(ख) धारा 3 के वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 6 के अधीन रजिस्टर रखे जायेंगे ;

(ग) धारा 7 के अधीन रजिस्टरों में प्रविष्टियों की जांच;

(घ) वह रीति जिसमें आयुक्त द्वारा धारा 12 के अधीन सम्पत्ति के अन्य संक्रामण को मंजूर करने वाले आदेश प्रकाशित किए जायेंगे ;

(ङ) वह रीति जिसमें धारा 14(2) के अधीन जांच की जानी है ;

(च) वह प्राधिकारी जिसको और वह रीति जिसमें धारा 19 के अधीन अपील की जायेगी ;

(छ) वह प्ररूप और रीति जिसमें धारा 22 के अधीन बजट तैयार किया जायेगा ;

(ज) इस अधिनियम द्वारा या के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित कथनों और विवरणियों के प्ररूप और अन्य प्ररूप तथा वह रीति जिसमें उन्हें रखा जाना है ;

(झ) हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास के प्रशासन से सम्बद्ध न्यासियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां, लेखे और सूचना ;

(ञ) धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्ति और भवनों का परिरक्षण, अनुरक्षण, प्रबन्ध और सुधार ;

(ट) मन्दिर में मूर्तियों और प्रतिमाओं का परिरक्षण ; और

(ठ) कोई अन्य बात जो इस अधिनियम के अधीन विहित की जानी है या विहित की जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, और यदि उस सत्र के जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया है या उपर्युक्त सत्र के अवसान के पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करती है तो तत्पश्चात् वह उस परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी, यदि उक्त अवसान के पूर्व विधान सभा यह विनिश्चय करती है कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभाव हो जायेगा किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 13 OF 2017.

THE HIMACHAL PRADESH HINDU PUBLIC RELIGIOUS INSTITUTIONS AND CHARITABLE ENDOWMENTS (AMENDMENT) BILL, 2017

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH HINDU PUBLIC RELIGIOUS INSTITUTIONS AND CHARITABLE ENDOWMENTS (AMENDMENT) BILL, 2017

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Substitution of section 2.
3. Substitution of section 3.
4. Substitution of section 4.
5. Substitution of certain words.
6. Substitution of section 12–A.
7. Amendment of section 15.
8. Amendment of section 18.
9. Amendment of section 23.
10. Amendment of section 29.

Bill No. 13 of 2017

THE HIMACHAL PRADESH HINDU PUBLIC RELIGIOUS INSTITUTIONS AND CHARITABLE ENDOWMENTS (AMENDMENT) BILL, 2017

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 (Act No. 18 of 1984).

BE it enacted by the Himachal Pradesh Legislative Assembly in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments (Amendment) Act, 2017.

Substitution of section 2

2. For section 2 of the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 (hereinafter referred to as the "principal Act"), the following shall be substituted, namely,—

"2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires.—

(a) "Additional Chief Commissioner (Temple)" means the Additional Chief Commissioner (Temple) appointed under section 3;

(b) "Assistant Commissioner (Temple)" means Assistant Commissioner (Temple) appointed under section 3;

(c) "Charitable endowment" means all property given or endowed for the benefit of, or used as of right by, the community or any section thereof for the support or maintenance of objects of utility to the community or section, such as sarais, rest-houses,

pathshalas, schools and colleges, houses for feeding the poor and institution for advancement of education, medical relief fund and public health or other objects of like nature and includes the institutions concerned;

(d) "Chief Commissioner (Temple)" means the Chief Commissioner (Temple) appointed under section 3 and include every officer, who for the time being exercises the powers and perform the functions of a Chief Commissioner (Temple) under this Act;

(e) "Commissioner (Temple)" means the Commissioner (Temple) appointed under section 3 and includes every officer, who for the time being exercises the powers and perform the functions of a Commissioner (Temple) under this Act;

(f) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(g) "Hereditary trustee" means the trustee of a religious institution succession to whose office devolves by hereditary right or by nomination by the trustee for the time being in office or is regulated by custom, or is specifically provided for by the founder, so long as such scheme of succession is in force;

(h) "Hindu public religious institution" means a math, temple, smadh, smadhi, dera and endowment attached thereto or a specified endowment, established with a religious object for a public purpose and includes,—

(i) all property movable or immovable belonging to or given or endowed for worship in, maintenance or improvement of, additions to, a math or temple, smadh, smadhi or dera for the performance of any service or charity connected therewith;

(ii) the idols installed in the math or temple, smadh, smadhi or dera clothes, ornaments and things for decoration etc.; and

(iii) religious institution under the direct control of the State Government, but does not include such private religious maths or temple in which the public are not interested:

Provided that any offering, whether in kind or in cash, made by the pilgrims or by any other person in any Hindu Public Religious Institutions shall be deemed to be the property of such religious institutions;

(i) "Joint Commissioner (Temple)" means the Joint Commissioner (Temple) appointed under section 3;

(j) "Math" means a math as understood under Hindu Law;

(k) "Non-hereditary trustee" means a trustee who is not a hereditary trustee and includes a Government Officer or Officials so appointed in the temple trust;

(l) "Officer" means an officer appointed under this Act and shall include the Chief Commissioner (Temple), Additional Chief Commissioner (Temple), Commissioner (Temple), Joint Commissioner (Temple), Temple Officer and Assistant Commissioner (Temple);

(m) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(n) "pujari" includes a panda or any other person who performs or conducts puja or other rituals;

(o) "Schedule" means the schedule appended to this Act;

(p) "Section" means section of this Act;

(q) "State" means the State of Himachal Pradesh;

(r) "Temple" means a place, by whatever name known, used as a place of public religious worship, and dedicated to, for the benefit of, or used as of right by the Hindu community or any section thereof as a place of public religious worship;

(s) "Temple trust" means the trust constituted by the Commissioner (Temple) under section 5 of this Act;

(t) "Temple officer" means the officer appointed by the Government to undertake the day to day management of the temple; and

(u) "Trustee" means any person or body of persons, by whatever designation known, in whom or in which the administration of a Hindu religious public institution and charitable endowment is vested, and includes any person or body of persons who or which is liable, as if such person or body of persons were a trustee.".

Substitution of section 3.

3. For Section 3 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"3. Appointment of the Chief Commissioner (Temple) and other officers.—(1) The Administrative Secretary of the Language, Art and Culture Department of the Government shall be the Chief Commissioner (Temple) for the whole of the State to exercise the powers and perform the functions conferred upon or entrusted to him by or under this Act.

(2) The Director, Language, Art and Culture, Himachal Pradesh or any other officer appointed by the Government shall be the Additional Chief Commissioner (Temple) for the whole of the State to exercise the powers and perform the functions, as may be prescribed.

(3) The Government may appoint Deputy Commissioner or any other officer as Commissioner (Temple) for the whole or different parts of the State to exercise the powers and perform the functions conferred upon, or entrusted to him by or under this Act.

(4) The Government may appoint the Sub Divisional Officer (Civil) or any other officer as the Joint Commissioner (Temple) for the whole or different parts of the State to exercise the powers and perform the functions, as may be prescribed.

(5) The Government may appoint from amongst the Tehsildars of Revenue Department or any equivalent officer as Temple Officer for each Temple to look after its work.

(6) The Government may appoint District Language Officer or any other officer as Assistant Commissioner (Temple) for the whole or different parts of the State to exercise the powers and perform the functions, as may be prescribed.

(7) The Government may, from time to time, appoint such other officers and staff to assist the Commissioner (Temple) as it may deem fit.

(8) The Recruitment and Promotion Rules and other conditions of service for the employees of each temple trust shall be such as may be approved by the Chief Commissioner (Temple):

Provided that the emoluments and other monetary benefits payable to the employees of temple trust shall be prescribed taking into account the income of the temple trust and for this purpose the Government may classify the temples into two or more categories based on their resources. The Government, may, if deemed fit, approve general rules to be followed regarding the terms of service of temple trust employees and that would deem to be incorporated in each Recuritment and Promotion Rules of the temple trusts of the State under this Act.".

Substitution of section 4.

4. For section 4 of the principal Act, the following shall be substituted, namely :—

"4. Officer under Act to be a Hindu.- An officer appointed under this Act shall be out of the persons professing the Hindu Religion.".

Substitution of certain words

5. In the principal Act,—

(a) for the words "Financial Commissioner", wherever occur in section 12, 14,16,19, 22 and 28, the words and signs "Chief Commissioner (Temple)" shall be substituted ; and

(b) for the words "the Commissioner", wherever occur in section 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 30 and 34, the words and signs "the Commissioner (Temple)" shall be substituted.

Substitution of section 12-A.

6. For section 12-A of the principal Act, the following shall be substituted, namely :—

"12-A Alienation of gold and silver of the Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments – The offerings received from the devotees in the shape of various varieties of gold and silver in every Hindu Public Religious Institution and Charitable Endowment, as included in the Scheduled-I, shall be alienated in the manner, as may be prescribed."

Amendment of section 15.

7. In section 15 of the principal Act, in sub-section 2 for the words "Commissioner may", the words and signs "Commissioner (Temple) may himself or through an officer authorized by him" shall be substituted.

Amendment of section 18.

8. In section 18 of the principal Act, in sub- section (5) for the word "twenty", the words "twenty five" shall be substituted.

Amendment of section 23.

9. In section 23 of the principal Act, for sub- section (4), the following shall be substituted, namely:—

"(4) The annual audit of the Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowment shall be conducted by the Section Officer (State Accounts Services) of the Language and Culture Department or by the officers of the Local Audit Department or any Chartered Accountant duly authorised by the Chief Commissioner (Temple).".

Amendment of section 29.

10. In section 29 of the principal Act, in sub- section (1), after the words "Charitable Endowment", the words and sign "or group of temples, as the case may be" shall be inserted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 was enacted to provide for better administration of the Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments and for protection of the properties of such institutions. However, many authorities actively involved in the administration of the Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments were not included in the Act. Therefore, such authorities are required to be included in the Act. Accordingly, the definitions and the procedure to appoint such authorities are being substituted through the proposed legislation. Further, there have been instances of encroachment on the land and premises belonging to the temple trusts, hence, provisions are being made to empower the Commissioner (Temple) to authorise other officers to make an application for taking up proceedings under appropriate laws before the Competent Authority. This is likely to ensure speedy eviction of encroachments. The number of devotees to religious shrines are increasing day by day, hence, to provide better administration, the maximum number of trustees are being increased to 25 from the present number of 20. The proposed legislation aims at improving the administration of the Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

(VIRBHADRA SINGH)
Chief Minister.

SHIMLA :
THE ....., 2017.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted, are to be enforced through the existing Government machinery and there will be no additional expenditure from the State Exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 3 and 6 of the Bill seek to empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of this Act. The proposed delegation of powers is essential and normal in character.

THE HIMACHAL PRADESH HINDU PUBLIC RELIGIOUS INSTITUTIONS AND CHARITABLE ENDOWMENTS (AMENDMENT) BILL, 2017

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 (Act No. 18 of 1984).

(VIRBHADRA SINGH)
Chief Minister.

(Dr. BALDEV SINGH)
Pr. Secretary (Law).

SHIMLA:
THE ....., 2017.

EXTRACT OF THE PROVISION OF THE HIMACHAL PRADESH HINDU PUBLIC RELIGIOUS INSTITUTIONS AND CHARITABLE ENDOWMENTS ACT, 1984 (ACT No. 18 of 1984) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMEDMENT BILL.

Sections:

2. **Definitions.**—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Charitable endowment" means all property given or endowed for the benefit of, or used as of right by, the community or any section thereof for the support or maintenance of objects of utility to the said community or section, such as sarais, rest-houses, pathshalas, schools and colleges, houses for feeding the poors and institution for advancement of education, medical relief fund and public health or other objects of like nature and includes the institution concerned;

(b) "Commissioner" means the Commissioner appointed under section 3 and includes every officer, who for the time being exercises the powers and performs the functions of a Commissioner under this Act or the rules made thereunder;

(c) "Financial Commissioner" shall means the Financial Commissioner appointed under by the Government to exercise the powers under this Act;

(d) "Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(e) "hereditary trustee" means the trustee of a religious institution succession to whose office devolves by hereditary right or by nomination by the trustee for the time being in office or is regulated by custom, or is specifically provided for by the founder, so long as such scheme of succession is in force;

(f) "Hindu public religious institution" means a math, temple and endowment attached thereto or a specified endowment, established with a religious object for a public purpose and includes,—

(i) all property movable or immovable belonging to or given or endowed for worship in, maintenance or improvement of, additions to, a math or temple, for the performance of any service or charity connected therewith;

(ii) the idols installed in the math or temple, clothes, ornaments and things for decoration etc; and

(iii) religious institution under the direct control of the State Government; but does not include such private religious math, temple, smadh, smadhi or dera in which the public are not interested.

Provided that any offering, whether in kind or in cash, made by any pilgrim or by any other person in any Himachal Pradesh Public Religious Institutions shall be deemed to be the property of such religious institution;", and

(g) "math" means a math as understood under Hindu law;

(h) "non-hereditary trustee" means a trustee who is not a hereditary trustee;

(i) "prescribed" means prescribed by rules made by the Government under this Act;

(j) "pujari" includes a panda or other person who performs or conducts puja or other rituals;

(k) "schedule" means the schedule appended to this Act;

(l) "temple" means a place, by whatever designation known, used as place of public religious worship, and dedicated to, for the benefit of, or used as of right by, the Hindu community or any section thereof as a place of public religious worship; and

(m) "trustee" means any person or body of persons, by whatever designation known, in whom or in which the administration of a Hindu religious Public institution and charitable endowment is vested, and includes any person or body of persons who or which is liable as if such person or body of persons where a trustee.

3. **Appointment of the Commissioner and other officers.**—(1) The Government shall appoint one or more Commissioners for the whole or different parts of the State of Himachal Pradesh to exercise the powers and, functions conferred upon, or entrusted to him by or under this Act.

(1-A). The Principal Secretary of Secretary (Language, Arts & Culture) to the State Government shall be Chief Commissioner (Temple).

(2) The Government may, from time to time, appoint such other officers and staff to assist the Commissioner as if may deem fit.

(3) The conditions of service of officers appointed under sub-section (2) shall be such as may be determined by the Government and the Recruitment and Promotion Rules and other conditions of service of the temple trusts employees shall be such as may be notified by the Chief Commissioner (Temple).

4. Commissioner to be a Hindu.—A Commissioner and other officers, who may be directed to exercise any or all the powers or to perform the functions of the Commissioner, shall be appointed out of the persons professing the Hindu religion.

5. Powers and functions of the Commissioner.—(1) Subject to the other provisions of this Act, the administration of all Hindu public religious institutions and charitable endowments shall be under the general superintendence and control of the Commissioner and such superintendence and control shall include the powers to pass orders which may be deemed necessary to ensure that such institutions and endowments are properly administered, and their income is duly appropriated for the purposes for which they were founded or exist.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisiosn, the Commissioner shall exercise the powers conferred on him and perform functions entrusted to him by or under this Act and the rules framed thereunder.

(3) Subject to section 20, the Commissioner may constitute a Managing committee of the trustees for superintendence and control of the temple, if deems proper.

(4) The recruitment , purchase of vehicle or new construction work in any temple, shall be subject to the prior approval of the Chief Commissioner (Temple).

(5) The Commissioner shall exercise the financial powers up to fifty thousand rupees in each scheme, and the schemes involving expenditure exceeding fifty thousand rupees, shall be forwarded by Pradesh to the Chief Commissioner (Temple):

Provided that the maximum limit fixed under this sub section shall not apply in release of salaries or honorarium of the staff of the temple, trusts, committees, or other institution under the control of trusts or committees'.

6. Preparation and maintenance of registers by religious institutions.— (1) For every Hindu public religious institution and charitable endowment, there shall be prepared and maintained, in such form and manner as may be prescribed, a register showing —

(a) the origin and history of the institution, the names of the past and present trustees and particulars as to the custom or usage, if any, regarding succession to the office of the trustee;

(b) particulars of the scheme of administration and of the scale of expenditure;

(c) the name of all officers to which any salary, emolument or perquisite is attached and the nature, time and conditions of service in each case;

(d) the money, jewels, gold, silver, precious stones, vessels and utensils and other movables belonging to the institution, with their weights, details of the constituent elements and estimated value thereof;

(e) particulars of immovable properties and all other endowments of the institution and all title deeds and other documents;

(f) particulars of details of constituent elements of and coloured photographs of the idols and other images in or connected with the institution, whether intended for worship or for being carried in processions;

(g) particulars of ancient or historical records with their contents in brief; and

(h) such other particulars as may be required by the Commissioner.

(2) The register shall be prepared, signed and verified by the trustee of institution concerned or by his authorised agent and submitted by him to the Commissioner, in duplicate within three months from the date of the notice served upon him by the Commissioner in this behalf or within such further period as may be allowed by the Commissioner:

Provided that each trustee or his agent specially authorised by him in that behalf be required to swear an affidavit that the list of properties, both movable and immovable, owned by the institution as shown in the register is complete.

(3) The Commissioner may, after such enquiry as he may consider necessary, recommend and direct the trustee to carry out such alterations, omissions or additions in the registers as the Commissioner may think fit.

(4) The trustee shall carryout the directions of the Commissioner and submit the register to the Commissioner for approval within a period of three months from the date of the order, failing which the register shall be deemed to have been corrected accordingly.

(5) A copy of the register as approved by the Commissioner shall be made available to the trustee.

7. Annual verification of the register.—(1) The trustee or his authorised agent shall scrutinize the entries in the register every year, or at such interval of times, as may be prescribed, and submit to the Commissioner for his approval, verified statement showing the alterations, omissions or additions required in the register.

(2) The Commissioner may, thereupon, after such inquiry as he may consider necessary direct, the alteration omissions or additions, if any, to be made in the register.

(3) A copy of the order made under sub-section (2) shall be made available to the trustee.

(4) The trustee shall carry out the alterations, omissions or additions ordered by the Commissioner in the copy of the register kept by him, within three months from the date of the order, failing which the copy of the register shall be deemed to have been corrected accordingly.

8. Trustee bound to obey orders made under the Act.—The trustee of a Hindu public religious institution and charitable endowment shall carry out all orders made and directions given by the Commissioner under the provisions of this Act.

9. Care to be required of trustees and his powers.—(1) The trustee of every Hindu public religious institution and charitable endowment shall administer its affairs and apply its funds and properties in accordance with the terms of the trust, the custom or usage of the institution and lawful directions, which a competent authority may give in respect thereof.

(2) A trustee shall, subject to the provisions of this Act, be entitled to exercise all powers incidental to the prudent and beneficial administration of the Hindu public religious institution and charitable endowment and to all things necessary for the due performance of the duties imposed upon him.

(3) A trustee shall not entitled to spend the funds of the Hindu public religious institution and charitable endowment for meeting any costs, charges and expenses incurred by him in any suit, appeal or application or other proceedings for, or incidental to, his removal from office or the taking of any disciplinary action against him :

Provided that the trustee may reimburse himself in respect of such costs, charges or expenses, if he is specifically permitted to do so by the Commissioner.

10. Trustee to furnish accounts, returns, etc.—The trustee of every Hindu public religious institution or charitable endowment shall furnish to the Commissioner such accounts,

returns, reports or other information relating to the administration of the institution in his charge, its funds, property or income or money connected therewith, or the appropriation thereof, as the Commissioner may require, and at such time and in such form as it may direct.

11. Inspection of property and documents.—(1) The Commissioner, or any officer or other person deputed in that behalf by the Commissioner or the Government, may inspect all movable or immovable properties belonging to, and all records, correspondence, plans, accounts and other documents relating to any Hindu public religious institution and charitable endowment and it shall be the duty of the trustee of such institution and endowment and all officers and servants working under him, his agent and any person having concern in the administration thereof, to afford all such assistance and facilities as may be necessary or reasonably required in regard to such inspection, and also to produce any such movable property or document for inspection, if so required.

(2) For the purposes of inspection as aforesaid the inspecting authority shall, subject to the local practice, custom or usage, have power to enter at any reasonable hour the premises of any public religious institution or any place of worship.

(3) Nothing in this section shall deemed to authorise any person to enter the premises or place referred to in sub-section (2) or any part thereof unless such person professes the religion to which the premises or place belongs.

12. Alienation of immovable properties of public religious institution and charitable endowment.—(1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no transfer by exchange, sale, mortgage or in any other manner whatsoever and no lease of any immovable property belonging to, or given or endowed for the purposes of any Hindu public religious institution and charitable endowment shall be made unless it is sanctioned by the Commissioner as being necessary or beneficial to the institution and any transfer made in contravention of this sub-section shall be void and inoperative.

(2) In according such sanction, the Commissioner may declare it to be subject to such conditions and directions as he may deem necessary regarding the utilisation of the amount raised by the transaction, the investment thereof and in the case of a mortgage, regarding discharge of the same within a reasonable period.

(3) A copy of the order of the Commissioner under this section shall be communicated to the trustee and shall be published in such manner as may be prescribed.

(4) The trustee may within three months from the date of receipt of a copy of the order and any person having interest may, within three months from the date of the publication of the order, prefer an appeal to the Financial Commissioner, who may modify the order or set it aside.

12-A. Alienation of gold and silver of Hindu Public Religious Institutions and Charitable endowments.—(1) The offerings of devotees received in the shape of various varieties of gold and silver by the Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments shall be caused to be purified, invested and disposed of after the approval of the Committee constituted under sub-section (2). The gold and silver shall be caused to be purified from the Mines and Minerals Trading Corporations, Mumbai and shall be invested and disposed of in the following manner, namely:—

(A) Gold:

(i) 10 percent gold shall be used for the various activities related to temples;

(ii) 20 percent gold shall be invested in the "GOLD BOND SCHEME" of the State Bank of India; and

(iii) 20 percent gold shall be kept reserved in the temples.

(iv) 50 % gold shall be converted into biscuits or coins and shall be sold to the devotees and pilgrims on the current prevailing market price." and

(B) Silver :

(i) 20 percent silver shall be used for the various temples activities;

(ii) 20 percent silver shall be kept reserved in the temples; and

(iii) 60 percent silver shall be kept converted into silver coins and shall be sold to the devotees and pilgrims on the current market price prevailing at that time.

(2) For the purpose of grant of approval for purification of gold and silver and their disposal, a committee shall be constituted by the Commissioner (Temple) which shall consist of the following members, namely :—

(i)	Concerned Commissioner (Temple)	-	Chairman;
(ii)	Official member of the Temple Trust	-	Member;
(iii)	Two non- official members, to be Nominated by the State Government	-	Member;

(vi) Concerned District Language Officer - Member; and

(vii) Temple Officer of the temple concerned - Member Secretary.

(3) The tenure of the non-official members shall be two years from the date of notification, however, non-official member may be removed by the State Government at any time before expiry of his tenure for the reasons to be recorded in writing.

(4) A non-official member shall be entitled to the travelling allowance and daily allowance for attending the meetings of the Committee in accordance with rules and instructions issued by the State Government from time to time and the same shall be payable from the income of the temple concerned by the Temple Officer.

(5) There shall be a State level Coordination Committee, to be constituted by the Principal Secretary (LAC)-*cum*-Chief commissioner (Temples), to monitor and supervise the functions of the Committee constituted under sub- section (2).

The Committee shall consist of the following members, namely :—

(i) Chief Commissioner (Temple) - Chairman;

(ii) Director (Language & Culture) H.P. - Member; and

(iii) One representative of the Finance Department who shall in the rank of Joint Secretary. - Member.

14. Recovery of immovable property unlawfully alienated.—(1) Whenever it comes to the notice of the Commissioner that any immovable property belonging to any Hindu public religious institution and charitable endowment has been alienated in contravention of section 12, he shall refer the matter to the Financial Commissioner.

(2) Upon receipt of a reference made under Sub-section (1), the Financial Commissioner, shall hold a summary enquiry in the prescribed manner and on being satisfied that any such property has been so alienated, shall deliver possession of the same to the trustee of the institution or encroachment.

15. Removal of encroachment of land and premises belonging to a religious institution and endowment.—(1) The provisions contained in the Himachal Pradesh Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Act, 1971 (22 of 1971) shall be applicable, as far as may be, in respect of unauthorised occupation of any land or premises belonging to any Hindu Public Religious Institution and Charitable Endowment as if it were the property of Governemnt within the meaning of that Act.

(2) The Commissioner may make any application for taking up appropriate proceedings under the said Act to the authority competent thereunder and thereupon it shall be lawful for such authority to take action in accordance with the provisions in that Act.

16. Power to act for protection of Hindu public religious institutions and charitable endowment.—(1) Where the Commissioner has the reason to believe that,—

(a) any property belonging to a Hindu public religious and charitable endowment is in danger of being wasted, damaged or improperly alienated by any trustee or any person,

or

(b) the trustee or such person threatens, or intends to remove or dispose of that property, the Commissioner may, by order grant a temporary injuction or make such other order for the purpose of staying and preventing the wastage, damage, alienation, sale, removal or disposition of such property, on such terms as to the duration of injuction, keeping of accounts, giving security, production of the property or otherwise, as he thinks fit.

(2) The Commissioner shall in all such cases, except where it appears that the object of granting injuction would be defeated by delay, before granting an injuction, give notice of the facts to the trustee or person concerned.

(3) After hearing the trustee of person concerned and holding such inquiry as he may think fit, the Commissioner may confirm, discharge, vary or set aside the order of injuction or pass an appropriate order.

(4) In case of disobedience or breach of any injuction, any of its terms or any order passed under this section, the Commissioner may apply to the Financial Commissioner, who may, after hearing the Commissioner and the party affected, order the property of the person, guilty of such disobedience of breach, to be attached, and may also order the said person to be detained in

civil prison for a term not exceeding one year. No attachment under this sub-section shall remain in force for more than two years, at the end of which time, if the disobedience or breach continues the property attached may be sold, and out of the proceeds, the Financial Commissioner may award such compensation as he thinks fit, and shall pay the balance, if any, to the person entitled thereto, and thereupon the temporary injunction granted or any order passed by the Commissioner under this section, if in force, shall stand vacated or, as the case may be, cancelled.

(5) A trustee or a person against whom, the order of injuction or any other order under this section is passed, may within ninety days from the date of communication of such order, appeal to the Financial Commissioner against such order.

18. Appointment and tenure of non-hereditary trustee and pujari.—(1) The Commissioner shall, in cases where there is no hereditary trustee or pujari of a Hindu public religious institution and charitable endowment, appoint non-hereditary trustee or pujari, as the case may be, in respect of such a Hindu public, religious institution and charitable endowment, and in making such appointment, he shall have due regard to the claims of persons belonging to the religious denomination for whose benefit the said institution and charitable endowment is mainly maintained.

(2) A non-hereditary trustee or a pujari shall hold office for a term of five years, unless in lie mean while the trustee or pujari is removed or dismissed or his resignation is accepted by the Commissioner or he otherwise ceases to be a trustee or a pujari.

(3) Every non-hereditary trustee or a pujari lawfully holding office on the date as may be specified by the Government in this behalf shall be deemed to have been duly appointed under this Act for the unexpired portion of his term of office or if there is no fixed term of office, for the next period of five years.

(4) A non-hereditary trustee or a pujari shall be eligible for re-appointment.

(5) The Commissioner, shall appoint not exceeding twenty trustees including official, non-official, hereditary and non hereditary trustees.

(6) The quorum of the meeting of the trusts shall be two third of the total of trustees.

19. Power to suspend, remove or dismiss trustees and pujari.—(1) The Commissioner may suspend, remove or dismiss the trustee or a pujari of any Hindu public religious institution and charitable endowment,—

(a) for persistent default in the submission of budgets, accounts, reports or returns to the Commissioner or any other officer authorised in this behalf;

(b) for wilful disobedience of any order issued under the provisions of this Act by the Commissioner or the Government;

(c) for any malfeasance, misfeasance, breach of trust or neglect of duty in respect of the Hindu religious institution and charitable endowment or alienation of any property, in contravention of this Act;

(d) for any misappropriation of, or improper dealing with, the properties of the religious institution and endowment of which he is a trustee or a pujari;

(e) for having been found under the influence of intoxicating liquor or drugs in the temple; and

(f) for unsoundness of mind or other mental or physical defect or infirmity which renders him unfit for discharging the functions of a trustee or a pujari:

Provided that no trustee or pujari shall be removed or dismissed by the Commissioner under this section unless he has been given reasonable opportunity of being heard.

(2) A non-hereditary trustee, or a pujari, who is suspended, removed or dismissed by the Commissioner under sub-section (1), may, within one month from the date of receipt of the order of suspension, removal or dismissal, prefer an appeal to such authority and in the manner as may be prescribed by the Government.

(3) A hereditary trustee or pujari, who is suspended, removed or dismissed by the Commissioner under sub-section (1), may, within two months from the date of receipt of the order, prefer an appeal to the Financial Commissioner.

(4) A hereditary trust or a pujari so suspended, removed or dismissed maybe allowed such maintenance as may be fixed by the Commissioner considering the financial condition of the institution.

21. Filling of vacancy in the office of hereditary trustee or pujari.—(1) When a permanent vacancy occurs in the office of the hereditary trustee or a pujari, as the case may be, of a Hindu public religious institution and a charitable endowment, the next in the line of succession shall be entitled to succeed to the office.

(2) When temporary vacancy occurs in such an office by reason of the suspension of hereditary trustee or pujari, as the case may be, under sub-section (1) of section 19 or by reason of his ceasing to hold office under the provisions of section 20, the next in the line of succession shall be appointed by the Commissioner to discharge the functions of the trustee, or as the case may be, of the pujari, until his disability ceases.

(3) When a permanent or temporary vacancy occurs in such an office and there is a dispute relating to the right of succession to the office, or when such vacancy cannot be filled up immediately or when there is a dispute relating to the person who is entitled to act as such, the Commissioner may appoint a fit person to discharge the functions of the trustee, or as the case may be, of the pujari, of the religious institution and endowment, until the disability of the hereditary trustee or pujari ceases or another hereditary trustee or pujari succeeds to the office or for such shorter term as the Commissioner may direct.

Explanation.—In making any appointment under this sub-section, the Commissioner shall have due regard to the claims of the members of the family, if any, entitled to the succession.

22. Budget of religious institutions and charitable endowments.— (1) The trustee of a Hindu public religious institution and charitable endowment, shall, before the end of December, in each year, submit to such authority and in such form and manner as may be prescribed by the Government, a budget showing the probable receipts and disbursements of the Hindu public religious institution and charitable endowment during the following financial year.

(2) Every such budget shall make adequate provision for-

(a) the scale of expenditure for the time being in force and customary expenditure;

(b) the due discharge of all liabilities binding on the institution and endowment;

(c) expenditure on religious, educational and charitable purposes not inconsistent with the objects of the institution;

(d) for the encouragement and the spread of religious instructions according to the tenets of the religious institution;

(e) expenditure on the repairs and renovations of the buildings and preservation and protection of the properties and assets of the Hindu public religious institution and charitable endowment; and

(f) the amount of expenditure that may be incurred by a trustee under section 17.

(3) The Commissioner may, on receipt of the budget, make such alterations, omissions or additions therein as he may deem proper.

(4) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in or in any custom, usage or practice to the contrary, the provisions made for remuneration of any office holder or for any other item of expenditure in respect of any religious institution and endowment may be increased, decreased or modified by the Commissioner if such increase, decrease or modification is considered necessary in view of financial condition and the interest of the religious institution and the endowment.

(5) A trustee may, within one month of the date of the receipt by him of order by the Commissioner under sub-section (3) or sub-section (4) prefer an appeal such order to the Financial Commissioner.

(6) The annual budget including audit and accounts statement shall be placed before the management Committee for its approval.

23. Accounts.—(1) The trustee of every Hindu public religious institution and charitable endowment shall keep regular accounts or all receipts and disbursements. Such accounts shall be kept for each calendar year separately in such form and shall contain such particulars as may be specified by the Commissioner.

(2) Wherever the Commissioner has reason to believe that,—

(a) the trustee is not keeping regular accounts of all receipts and disbursements as required under sub-section (1); or

(b) the expenditure in relation to a Hindu public religious institution and charitable endowment is not being incurred in accordance with the budget approved under section 22; or

(c) it has become necessary to ascertain the fiscal position of the Hindu public religious institution and charitable endowment, the Commissioner may direct the trustee—

(i) to furnish the true and audited accounts of such institution and endowment, and in relation to such period as may be specified by the Commissioner; or

(ii) where the accounts are not annually audited to get the accounts in relation to such period as my be specified by the Commissioner, audited by a person who is a Chartered Accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) or by such other person as may be authorised in this behalf by the Government.

(3) Every auditor conducting the audit under sub-section (2) shall have access to the accounts and to all books, vouchers, other documents and records in possession of, or under the control of the trustee. The trustee shall provide to such auditor all facilities for such access.

(4) The internal audit of the temple trusts shall be conducted by the Section Officer (SAS) of the Language& Culture Department."

25. Penalty for wrongful withholding of property belonging to the religious institution and charitable endowment.—Any person who,—

(a) having in his possession, custody or control any property, document or books of accounts belonging to any Hindu public religious institution and charitable endowment, the management of which has been regulated under the provisions of this Act, wrongfully withholds such property or document or books of accounts from the Commissioner or any other person duly authorised by the Government or the Commissioner to inspect or call for the same;

(b) wrongfully obtains possession of, or retains any property, document or books of accounts of such religious institution and endowment, or wilfully withholds or fails to furnish or deliver to the Commissioner or any other person authorised by him in this behalf; or

(c) wrongfully removes, destroys or mutilates property, document or books of accounts of such religious institution and charitable endowment;

shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

27. Power to give directions.—The Government may, from time to time, give such general or specific directions in writing, to the Commissioner for the effective implementation of the provisions of this Act and while so doing may rescind, alter or modify-any order made by the Commissioner and the Commissioner shall follow them in the discharge of his duties.

28. Power of State Government to review.—The state Government may, suo - motu or on an application moved by any person considering himself aggrieved from any order or decision of the Financial Commissioner made under this Act, review such order or decision and make such order thereon as it thinks fit:

Provided that, before any order is made under this section, the State Government shall afford to any person, likely to be affected adversely by such order, an opportunity of being heard.

29. Power to amend Schedule-I.—(1) The Government may, if it is of opinion that it is expedient or necessary in the public interest so to do, by notification in the Official Gazette, add to, omit from, the Scehedule-I any Hindu Public Religious Institution and Chariatable Endowment and on any such notification being issued, the Schedule-I shall be deemed to be amended accordingly.

(2) Every such notification shall, as soon as possible after it is issued, be laid before the Legislative Assembly of the State.

30. Delegation of powers.—(1) The Government may delegate any of its powers and functions under this Act, except the powers exercisable by it under sub-section (1) of section 3 and section 34, to the Commissioner or any other officer subject to such conditions as it may impose.

(2) The Government may also direct that any power exercisable and duty or function to be performed by any officer appointed under this Act may be performed be any other officer subject to such conditions as it may impose.

(3) Subject to such directions or instructions, as the Government may from time to time issue, the Commissioner, may with the prior approval of the Government, delegate any of its functions to any other officer of the Government or any person working under him and may in the like manner withdraw any of the functions so delegated. The Commissioner may fix any terms and conditions subject to which the functions so delegated shall be performed.

34. Power to make rules.—(1) The Government may, subject to the conditions of previous publication, make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for—

(a) conditions of service of officers and staff to be appointed under section 3;

(b) the form and manner in which the registers are to be maintained under section 6;

(c) the scrutiny of the entries in the registers under section 7;

(d) the manner in which the order made by the Commissioner under section 12 sanctioning the alienation of properties shall be published;

(e) the manner in which enquiry is to be conducted under section 14(2);

(f) the authority to which and the manner in which appeal is to be preferred under section 19;

(g) the form and manner in which the budget is to be prepared under section 22;

(h) the form of statements, returns, and other forms required to be maintained by or under this Act and the manner in which these are to be maintained;

(i) the returns, accounts or other information to be submitted by the trustees or other persons concerned with the administration of a Hindu public religious institution or charitable endowment;

(j) the preservation, maintenance, management and improvements of the properties and buildings of religious institutions;

(k) the preservation of idols and images in temples; and

(l) any other matter which is to be or may be prescribed under this Act.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before the expiry of the session in which it is so laid or the session aforesaid, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may, so, however, that only such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

राजकीय मुद्रणालय, हि० प्र०, शिमला–1038–जुड० / 2017–20–8–2017—250 प्रतियां ।